

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 129/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

पिरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग लि. (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.) पंजीकृत
कार्यालय-वार्डन हाउस द्वितीय तल सर पी एम रोड, फाट, मुम्बई तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय
तल, जयपुर टावर, एम आई रोड, जयपुर राजस्थान जरिये प्राकृति अधिकारी मुकेश यादव।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री महेश आसोपा,

पता :- प्लॉट नम्बर 49-बी, राम नगर, महाराणा प्रताप स्कूल के पीछे, झोटवाडा, जयपुर।

एवं 396, उद्योग नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर एच-308, टोंक रोड, खसरा नम्बर 12328 व 11 से 17 ग्राम नानगपुरा,
जयपुर।

2. श्री लक्ष्मीनारायण आसोपा,

पता :- प्लॉट नम्बर 49-बी, राम नगर, महाराणा प्रताप स्कूल के पीछे, झोटवाडा, जयपुर।

3. श्रीमती ममता कश्यप,

पता :- ए-64, आर.के.पुरम, खातीपुरा, खिरणी फाटक के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.03.2010 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेश आसोपा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एच-308, टोंक रोड, खसरा नम्बर 12328 व 11 से 17 ग्राम नानगपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 556 वर्गफीट को बन्धक रख कर 4,50,085/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस हमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 4,50,085/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति हाईपोथिकेट कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 4,70,851/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री महेश आसोपा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एच-308, टोंक रोड, खसरा नम्बर 12328 व 11 से 17 ग्राम नानगपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 556 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल सफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 (सज्जन विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर